न्यायालय : जिला न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)

जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी ईब्तदाई प्रकरण संख्या :– 06/2019

CNR : **RJBA**010006712019

सी.आई.एस. नं. :– 06/2019

महेन्द्रसिंह गोद पुत्र पाबुदानसिंह, निवासी सरवडी, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा ।

..... वादी

बनाम

01. लक्ष्मणसिंह पुत्र खींवराजजी उर्फ खीमसिंहजी, निवासी सरवडी, तहसील कल्याणपुर (फौत) के कायम मुकाम :–

1/1. गीतादेवी पत्नि स्व. लक्ष्मणसिंह,

1/2. रणवीरसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह, निवासियान सरवडी, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा ।

1/3. दुर्गा पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह पत्नि पुखराजसिंह, निवासी नारवा, तहसील खींवसर, जिला नागौर ।

1/4. पुष्पा पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह पत्नि पूनमसिंह, निवासी नारवा, तहसील खींवसर, जिला नागौर ।

1/5. संतु पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह पत्नि राधेश्याम, निवासी डोडू, जिला नागौर ।

1/6. शारदा पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह, निवासी डोडू, जिला नागौर ।

1/7. भगवतीदेवी पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह पत्नि सुरेन्द्रसिंह, निवासी धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

1/8. सवाईसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह, निवासी सरवडी, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा ।

1/9. लता पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह पत्नि मूलसिंह, निवासी दानडो की ढाणी, जिला पाली ।

1/10. पर्वतसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह, निवासी सरवडी, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा ।

1/11. सोनु पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह पतिन सूरजसिंह, निवासी मेडता सिटी, जिला नागौर ।

02. श्रीमान् उप पंजीयक पचपदरा, जिला बालोतरा ।

..... **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र बाबत मंसुखी गोदनामा

उपस्थित :–

1. वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल सांखला ।
2. प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/5, 1/6, 1/8 ता 1/10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी ।
3. प्रतिवादी संख्या 1/3, 1/4, 1/7 व 1/11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही ।
4. प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ।

:: निर्णय ::

दिनांक : 09.04.2026

1. वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध दीवानी वाद बाबत मंसुखी गोदनामा हेतु दिनांक 13.05.2019 को प्रस्तुत किया गया ।
2. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी स्व. हेमसिंहजी का जायंदा पुत्र तथा पाबुदानसिंह का गोदपुत्र है ।
3. यह कि स्व. पाबुदानसिंहजी के कोई जायंदा ऑल औलाद नहीं थी तो स्व. पाबुदानसिंहजी ने अपनी पत्नि तखतकंवर को मौखिक आज्ञा दी थी कि वंश व नाम कायम रखने हेतु हेमसिंह के लड़के महेन्द्रसिंह को तुम्हारी इच्छा हो तब गोद ले लेना। मुस्समात् तखतकंवर ने अपने पति की आज्ञा कि पालना करते हुए वादी महेन्द्रसिंह उम्र 14 वर्ष को संवत् 2025 के फाल्गुन सुद 11 को गोद लेने देने के रस्म रिवाज पूरा करके अपने पति स्व. पाबुदानसिंहजी व अपने गोद लिया तथा वादी महेन्द्रसिंह के जायंदा पिता हेमसिंह पुत्र खींवराजसिंह व उनकी पत्नी सीतादेवी ने अपने जायंदा पुत्र महेन्द्रसिंह को गोद देकर उसके गोद में बिठाया तथा गोद लेने देने के रस्म रिवाज पूरा किये । भौतिक रुप से महेन्द्रसिंह को गोद लेने देने की रस्म पूरी की गई व गुड बांटा गया। ताबाद उक्त गोद का लिखत गोदनामा मुस्समात् तखतकंवर ने दिनांक 29 जुन 1972 संवत् 2028 आसाढ वद 3 वार वृहस्पत को वादी के हक में लिखवाकर अपना निशान अंगुष्ठ कर निष्पादित कर दिया तथा वादी महेन्द्रसिंह के जन्मदाता माता–पिता ने उक्त गोदनामें में सहमति स्वरुप हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये। उक्त गोदनामे के दस्तावेज को मुस्समात्

तखतकंवर ने उप पंजीयक कार्यालय पचपदरा में पंजीयन हेतु पेश किया जिसे पंजीबद्ध कर दिया गया। उक्त गोदनामे को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द मन्सुख नही किया गया जो गोदनामा आज भी अस्तित्व व प्रभावी है। गोदनामे की फोटो प्रति साथ पेश है।

4. यह कि प्रतिवादी नंबर 1 लक्ष्मणसिंह, खीमराज उर्फ खीमसिंह का जायंदा पुत्र है । चूंकि वादी महेन्द्रसिंह स्व. पाबुदानसिंहजी का गोदपुत्र होने से उत्तराधिकारी हो गया तो स्व. पाबुदानसिंहजी के हक हिस्से की भूमि वादी को उत्तराधिकार मे प्राप्त होनी थी जो भूमि ज्यादा थी तो हेमसिंह, खीमसिंह उर्फ खीमराज, नाथूसिंह व लक्ष्मणसिंह ने आपस में साजिश व षडयंत्र रचकर वादी के हक हिस्से की भूमि को नाजायज तरीके से हड़प करने हेतु वाद संख्या 39/76 पेश कर दिया जिसमे निम्न तथ्य स्वीकृत किये गये :–

1. वादग्रस्त जायदाद कृषि भूमियों से पाबुदानसिंह को 1/2 हिस्सा तथा 1/6 हिस्सा होना मंजूर किया।
2. पाबूदानसिह की उत्तराधिकारी उनकी पत्नी तखतकंवर को होना मंजूर किया लेकिन वादी के गोद होने के तथ्य को छिपाया व दोनों को दावे में पक्षकार ही नहीं बनाया।
3. लक्ष्मणसिंह को प्रतिवादी संख्या 3 बनाया तथा उसको खीमसिंह का पुत्र होना बताया। उक्त वाद डिक्री करवा दिया तथा उक्त दावे में प्रतिवादी संख्या 3 लक्ष्मणसिंह को पाबूदानसिंहजी के गोद होना नहीं बताया न गोदनामे का दस्तावेज ही पेश किया गया था।

उक्त राजीनामे के जरिये वाद डिक्री करवा देने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 3 लक्ष्मणसिंह ने उक्त निर्णय एवं डिक्री में अपने को पाबूदानसिंहजी का गोदपुत्र होना अंकित करवाकर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम लक्ष्मणसिंह गोदपुत्र पाबूदानसिंहजी दर्ज करवा दिया जिसका वादी को ज्ञान हुआ तो उसने राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने हेतु घोषणा का वाद पत्र संख्या 25/2019 शीर्षक वादी महेन्द्रसिंह बनाम प्रतिवादी लक्ष्मणसिंह, सहायक कलेक्टर कोर्ट बालोतरा में पेश किया जिसमें लक्ष्मणसिंह ने अपना जवाबदावा दिनांक 27.03.2019 को पेश किया जिसमे उसने कथन किया कि स्व. मुस्समात् तखतकंवर ने प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 19.07.1976 को गोद लिया तथा गोदनामे का दस्तावेज दिनांक 19.07.1976 को पंजीबद्ध करवा दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 पाबूदानसिंह का गोदपुत्र होना बताया।

5. यह कि स्व. तखतकंवर ने प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह को कभी गोद नहीं लिया न ही गोद लेने देने के रस्म रिवाज ही पूरे किये गये थे न भौतिक रुप से प्रतिवादी का हस्तातंरण खीमसिंह के खानदान से पाबूदानसिंह के खानदान में हुआ। मुस्समात् तखतकंवर ने वादी को संवत् 2025 के फाल्गुन सुद 11 को गोद लेकर इसका गोदनामा दिनांक 29.06.1972 को पंजीबद्ध करवा दिया था जिससे दूसरी बार प्रतिवादी को गोद लेने का मुस्समात् तखतकंवर को कोई हक अधिकार नहीं था। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह के हक में हुआ गोदनामा निम्न कारणों से अवैध व निष्प्रभावी होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है :–

1. यह कि वक्त गोद प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह की उम्र 15 साल से ज्यादा 26 वर्ष 8 माह की थी। राजपुरोहित समाज में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के लड़के को गोद लेने का रिवाज नहीं है।

2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह को गोद लेने के रस्म रिवाज पूरे नहीं किये गये न प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह का भौतिक रुप से एक खानदान से दूसरे खानदान में हस्तांतरण हुआ।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह के जायंदा पिता खीमसिंह व माता जड़ावदेवी ने उक्त गोदनामे को स्वीकार नहीं किया न उनके स्वीकृति स्वरुप गोदनामे पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है।

4. यह कि मुस्समात् तखतकंवर ने अपने पति व अपने लिये वादी महेन्द्रसिंह को संवत् 2025 की फाल्गुन सुद 11 को गोद लेने के रस्म रिवाज पूरा करके गोद ले लिया था तथा गोदनामा दस्तावेज दिनांक 29 जुन 1972 को प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय में पंजीबद्ध करवा दिया था जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह का गोदनामा नाजायज है व अवैध होने से शून्य है।

5. यह कि गोदनामा का अवलोकन करने से स्पष्ट हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह के गोदनामा के दस्तावेज में तमाम साखें गैर बिरादरी के लोगों की है, एक भी साक्ष्य उनकी जाति बिरादरी व गांव की नहीं है।

6. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह के तमाम सरकारी दस्तावेज में आज भी लक्ष्मणसिंह पुत्र खींवराजसिंह नाम दर्ज है, लक्ष्मणसिंह के पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता व पेंशन खाता में आज भी लक्ष्मणसिंह पुत्र खींमराजसिंह दर्ज है जबकि वादी महेन्द्रसिंह के नाम के आगे महेन्द्रसिंह पुत्र पाबुदानसिंह दर्ज है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

अजमेर का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजात में महेन्द्रसिंह पुत्र पाबूदानसिंह दर्ज है।

7. कि वादी महेन्द्रसिंह को विधिवत् गोद लेने के बाद अन्य किसी व्यक्ति को गोद नहीं लिया जा सकता है।

6. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह के हक में हुए नाजायज अवैध गोदनामा अस्तित्व में रहने से वादी के हकों पर कुठाराघात होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है तथा वादी के हक संशय में पड़ सकते है। उक्त प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह के हक मे हुए गोदनामे से वादी के हक सीधे तौर से प्रभावित होते है । अतः प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह के हक में हुआ गोदनामा दस्तावेज पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 4 क्रम संख्या 15/1976 पृष्ठ संख्या 47 से 50 पर दिनांक 04.08.1976 को प्रतिवादी संख्या 2 उप–पंजीयक पचपदरा के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया अवैध व शून्य दस्तावेज वादी के हकों के विरूद्ध निष्प्रभावी, बेअसर घोषित करवाकर रद्द व मन्सुख करवाना आवश्यक होने से यह वाद पत्र गोदनामा मन्सुखी हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश है।

7. यह कि बिनाय दावा प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2019 में अपना जवाबदावा दिनांक 27.03.2019 को पेश कर अपने को पाबूदानसिंहजी के गोद होने तथा मुस्समात् तखतकंवर द्वारा गोदनामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाने के तथ्य का उल्लेख करने पर वादी ने दिनांक 11.04.2019 को उक्त गोदनामे के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जो दिनांक 11.04.2019 को प्राप्त होने पर तथाकथित गोदनामें के दस्तावेज का प्रथम बार ज्ञान होने से उक्त तिथि के 3 वर्ष के भीतर–भीतर वाद पत्र पेश है। अतः वाद पत्र अन्दर म्याद पेश है तथा बिनाय दावा दिनांक 11.04.2019 को बमुकाम सरवडी तहसील पचपदरा में पैदा हुआ।

8. यह कि मालियत दावा की सहायता में अन्तविलिप्त जायदाद की मार्केट वेल्यु रुपये 10,000/– से ज्यादा की है एवं दावा गोद मन्सुखी का होने से मुकर्र कोर्ट फीस स्टाम्प रुपये 500/– का पेश है। दावा अदालत श्री के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह का गोदनामा दस्तावेज दिनांक 19.07.1976 को अवैध घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह के हक में प्रतिवादी संख्या 2 उप–पंजीयक कार्यालय पचपदरा में निष्पादित व पंजीबद्ध गोदनामा का दस्तावेज पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 4 क्रम संख्या 15/1976 पृष्ठ संख्या 47

से 50 पर दिनांक 04.08.1976 को वादी के विरुद्ध निष्प्रभावी, बेअसर घोषित किया जाकर उसे रद्द व मन्सुख किया जावे, इसकी सूचना प्रतिवादी संख्या 2 उप–पंजीयक पचपदरा को भेजी जावे ।

9. प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि पद सं. 01 वाद पत्र का गलत है, अतः अस्वीकार है। वादी कभी भी पाबुदानसिंह का गोदपुत्र नहीं रहा व न है।

10. यह है कि पद सं. 02 वाद पत्र गलत है, अतः अस्वीकार है। तखतकवंर को पाबुदानसिंह के द्वारा मौखिक आज्ञा वंश परम्परा कायम रखने हेतु वादी महेन्द्रसिंह को गोद लेने की ईच्छा जाहिर करने के तथ्य झूँठे, कपोल व काल्पनिक है । एक तरफ तो वादी इस पद में पाबुदानसिंह के द्वारा महेन्द्रसिंह को गोद लेने की इच्छा जाहिर करने का कथन करता है और संवत् 2025 यानी मुताबिक वर्ष सन् 1968 में वादी अपने आप को 14 वर्ष की आयु का होना बता रहा है, दूसरी तरफ ठीक इसके विपरीत कथित गोदनामा की प्रति जो वादी द्वारा न्यायालय में अपने वाद पत्र के साथ दिनांक 30.06.1972 को पेश की है कि दूसरी–तीसरी पंक्ति में भी यह स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि पाबुदानसिंह का देहान्त दिनांक 30.06.1972 यानी संवत् 2028 से 33 वर्ष पहले हो चुका था, जिससे भी यह स्पष्ट है कि पाबुदानसिंह की जिस समय मृत्यु हुई उस समय वादी का जन्म ही नहीं हुआ था यानी वादी का जन्म भी पाबुदानसिंह की मृत्यु के 18–19 वर्ष बाद हुआ था । 18–19 वर्ष पहले हेमसिंह के लड़का भविष्य में होगा, उसका नाम महेन्द्रसिंह होगा उसके गोद लेने की इच्छा जाहिर करने के तथ्य कपोल, काल्पनिक, नितान्त बनावटी व झूँठे है । महेन्द्रसिंह को न तो कभी पाबुदानसिंह के गोद दिया गया और न महेन्द्रसिंह कभी पाबुदानसिंह के गोद ही गया । दिनांक 29.06.1972 की तारीख में बनावटी दस्तावेज स्वार्थ के लिये तैयार किया है जिसका निष्पादन तखतकंवर ने कभी नही किया यदि ऐसा कोई गोद का लिखत वादी के पक्ष में निष्पादित किया हुआ अस्तित्व में होता तो वादी विगत 47 वर्षों की अवधि में चुपचाप बैठा नहीं रहता । यदि ऐसा कोई गोदनामें का प्रलेख होता तो वादी गोदनामे के प्रलेख के आधार पर उक्त 47 वर्षों की अवधि में अवश्य ही कानूनी चाराजोही करता । उक्त 47 वर्षों की अवधि में प्रतिवादी के हक में हुई विधिक कार्यवाही को क्यों चुनौती नहीं दी इस सम्बंध में लैस मात्र कथन भी वाद पत्र में वादी द्वारा व्यक्त नहीं किया है । जब वादी के पक्ष में कोई गोदनामा का प्रलेख ही नहीं रहा तो किसी न्यायालय द्वारा उसे रद्द मंसुख करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है । वादी के पक्ष में न तो कभी गोदनामें का अस्तित्व रहा और न है । वादी के नाम

गोदनामा होने के तथ्य कपोल, काल्पनिक, बनावटी व झूँठे है । जब वादी को पाबुदानसिंह या उनकी पत्नी तखतकंवर ने कभी गोद ही नहीं लिया तो गोद में बैठाने गोद लेने देने की रस्म रिवाज पूरा करने, गुड़ बांटने इत्यादि के तथ्य झूँठे, रचे, गढ़े बनावटी सिद्ध है।

11. यह है कि पद सं. 03 वाद पत्र का गलत है, अतः अस्वीकार है। जैसा कि जबाव के पदो में निवेदन किया जा चुका है कि वादी महेन्द्रसिंह कभी भी पाबुदानसिंह का गोद नही रहा और न पाबुदानसिह का उत्तराधिकारी है । वादी का यह कथन गलत है कि पाबुदानसिह की भूमि उसे उतराधिकारी में प्राप्त हुई हो । वादी का यह कथन गलत है कि हेमसिंह खीमसिंह उर्फ खीवसिंह, नाथुसिंह व लक्ष्मणसिंह ने आपस में साजिश व षड्यन्त्र रचकर वाद सं. 39/1976 पेश किया हो । अतिरिक्त इसके यदि ऐसा होता तो सन् 1976 से 2019 तक वादी इस बाबत चुप क्यो बैठा रहा । यहां यह निवेदन करना भी उचित है कि पाबुदानसिंह या तखतकंवर के नाम किसी तरह की खातदोरी या कब्जा काश्त की भूमि कभी नही रही । वादी ने इस पद में ऐसे किन्हीं खसरो का विवरण अंकित नहीं किया है जो तखतकवंर की खातेदारी या एकल स्वामित्व या सहसंयुक्त स्वामित्व की रही हो । जहां तक प्रतिवादी सं. 01 की जानकारी है, वादी हेमसिंह का पुत्र है खीमसिंह से हेमसिंह को प्राप्त हुई भूमि जो हेमसिंह के नाम दर्ज हुई उक्त हेमसिंह के मालिकाना स्वामित्व कब्जा काश्त की भूमियां खसरा सं. 146, 148, 162, 205, 241 व 259 में से आनुपातिक वारिश का हिस्सा वादी के नाम रहा है । उक्त भूमियो में हेमसिंह के फौत होने के बाद लिखित प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के आधार पर वादी का नाम फौतगी म्युटेशन सं. 1203 दिनांक 21.07.2014 को दर्ज किया गया । वादी का यह कथन गलत है कि वादग्रस्त भूमियों में पाबुदानसिंह का 1/2 हिस्सा या 1/6 हिस्सा होने के तथ्य स्वीकार किये हो । वादी का यह कथन गलत है कि वादी का पाबुदानसिंह के गोद होने के तथ्यों को छिपाया हो और दावे में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया हो । वादी एक तरफ तो दिनांक 29.06.1972 से पाबुदानसिंह के गोद जाने का कथन करता है और गोद जाने की प्रक्रिया में अपने पिता हेमसिह माता सीतादेवी द्वारा सहमति प्रदान करने का कथन करता है उसके बाद ठीक इसके विपरीत इस पद में दावा सं. 39/76 जिसका वाद पत्र वादी के पिता हेमसिंह थें, के द्वारा गोद गये तथ्यों को छिपाकर पक्षकार नहीं बनने का कथन किया है । यदि वास्तव में दावा सं. 39/1976 से पहले यानी दिनांक 29.06.1972 को वादी पाबुदानसिंह के गोद लिया गया होता तो वाद सं. 39/1976 में हेमसिंह ने जो दायर

किया था ऐसे वाद में गोद के सम्बंध में तथ्य अंकित क्यों नही किए । इस प्रकार वादी द्वारा कूटरचित दस्तावेज अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये तैयार करना सिद्ध है। जिस भूमियों के सम्बंध में वादी के पिता हेमसिंह ने वाद सं. 39/1976 सहायक कलेक्टर बालोतरा में पेश किया उस वाद से सम्बधित सम्पूर्ण भूमियां खीमसिंह उर्फ खींमराजसिंह के एकल खातेदारी कब्जा काश्त की थी, जिसमें खीमसिंह के अलावा अन्य किसी का नाम दर्ज नही रहा । खींमसिंह के सबसे बड़े पुत्र हेमसिंह जो वादी के पिता है, ने एक वाद सहायक कलेक्टर बालोतरा में अधिकार घोषणा का पेश किया था । चूंकि हेमसिंह जो खींमसिंह उर्फ खींमराजसिंह का पुत्र था, परिवार में जो सौहार्दपूर्ण माहौल था ऐसा ही माहौल यथावत् रूप से कायम रहे क्योंकि खीमराजसिंह के देहान्त के बाद हेमसिंह को हिस्सा मिलना ही था ऐसे तथ्यो को ध्यान में रखते हुए खीमसिंह के एकल स्वामित्व मालिकाना की भूमियों के सम्बध में अपनी स्वेच्छा से लिखित राजीनामा सहायक कलेक्टर बालोतरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। चूंकि उस समय खीमसिंह उर्फ खीमराजसिंह ने यह तय किया कि उसके एक दो–पीढ़ी में भाई लगने वाले पाबुदानसिंह के नाम कोई सम्पति नहीं थी और न ही उसके कोई जायन्दा संतान ही थी । पाबुदानसिंह की अंतिम इच्छा थी कि खीमराज का जायन्दा पुत्र प्रतिवादी सं. 01 लक्ष्मणसिंह उसके गोद रहे इसी अंतिम इच्छानुसार खीमराज व तखतकंवर ने सन् 1974 में यह तय किया कि पाबुदानसिंह का नाम चलता रहे इसलिए एक पंजीकृत गोदनामा भी प्रतिवादी सं. 01 लक्ष्मणसिंह के हक में उप–पंजीयक पचपदरा में सन् 1974 में पंजीबद्ध करवाया गया और मूल राजस्व वाद में उचित हक तय कर राजीनामा प्रस्तुत किया। पाबुदानसिंह का प्रतिवादी को गोदपुत्र के तौर पर नाम वादी के पिता हेमसिंह की संस्वीकृति जानकारी में विधिक कार्यवाही में लिखा गया था ऐसे तथ्यो की जानकारी वादी को शुरू से ही रही व है क्योंकि वाद सं. 39/1976 में पारित निर्णय दिनांक 31.12.1976 की पालना रेकर्ड में विगत 44 वर्षो से लगातार रूप से दर्ज रही व है । वादी का यह कथन गलत है कि प्रतिवादी का नाम रेकर्ड में दर्ज होने के तथ्यो की जानकारी वर्ष 2019 में ही हुई हो और ऐसी जानकारी होने पर वाद सं. 25/2019 पेश किया हो । वादी ने झूँठे व निराधार तथ्यों का वाद सहायक कलेक्टर में पेश किया जिसका जबाव दावा मय दस्तावेज प्रतिवादी ने पेश किया तब वादी को उक्त तथ्य का पता चला कि उक्त प्रकरण प्रथम सुनवाई तारीख पर जबाव दावा प्रस्तुत हो जाने से आगे नही चलेगा तब झूँठे व निराधार तथ्यों का वर्तमान वाद पेश किया है जबकि वादी को प्रतिवादी सं. 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में पाबुदानसिंह के गोद

पुत्र की हैसियत से म्युटेशन सं. 367 दिनांक 25.10.1977 को पारित होने के बाद से लगातार कायम होने के तथ्यों की पूर्ण जानकारी रही है।

12. यह है कि पद सं. 04 वाद पत्र गलत है, अतः अस्वीकार है। तखतकंवर ने माफिक हिन्दू रीति रिवाज अनुसार प्रतिवादी सं. 01 को गोद लिया था और गोद पुत्र की सम्पूर्ण रस्में हुई उसमें वादी के पिता हेमसिंह उपस्थित थे । जब दिनांक 29.06.1972 या अन्यत्र कभी भी वादी को तखतकंवर ने गोद ही नहीं लिया तो प्रतिवादी सं. 01 कभी भी द्वितीय गोद पुत्र नही हुआ और न है। प्रतिवादी सं. 01 स्वर्गीय पाबुदानसिंह, तखतकंवर का एकमात्र गोद पुत्र रहा व है । प्रतिवादी सं. 01 के हक में निष्पादित पंजीकृत गोदनामा दिनांक 19.07.1976 कभी भी निष्प्रभावी या अवैध नही रहा व न है । वादी, प्रतिवादी सं. 01 के हक में निष्पादित गोदनामे को किसी भी प्रकार से निरस्त करने का अधिकारी नही है । प्रतिवादी सं. 01 को बाल्यवस्था यानी 5–6 वर्ष की आयु में ही पाबुदानसिंह की माफिक ईच्छा तखतकंवर द्वारा गोद लिया जा चुका था तथा गोद की सम्पूर्ण रस्में भी अदा की जा चुकी थी मात्र गोदनामा पंजीकृत होना ही शेष था । गोदनामा पंजीकरण की प्रक्रिया दिनांक 19.07.1976 को निष्पादित हुई थी । वादी का यह ऐतराज गलत है कि गोद के वक्त प्रतिवादी की आयु 15 वर्ष से अधिक हो हालांकि राजपुरोहित समाज की रूढि प्रथा अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु में गोद लेने व देने में किसी प्रकार की बाधा नही है । माफिक रूढि परम्परा अधिक आयु के लड़के को गोद दिया व लिया जा सकता है । वादी का यह कथन गलत है कि लक्ष्मणसिंह को गोद लेने की रस्म पूरी नहीं हुई हो बल्कि सम्पूर्ण रस्में पाठ बैठाना, गोद भराना, तिलक लगाना, गुढ बांटना, साफा बंधाना, समाज के मौजिक व्यक्तियों व परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में पूर्ण की गई और ऐसी रस्म के वक्त वादी के पिता हेमसिंहजी भी उपस्थित थे ।

13. यह है कि पद सं. 05 वाद पत्र गलत है, अतः अस्वीकार है । प्रतिवादी लक्ष्मणसिंह के पक्ष में निष्पादित गोदनामा दिनांक 19.07.1976 को निष्पादित हुए 43 वर्ष से अधिक समय हो चुका है तथा उसकी पालना में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में अमल दरामद हो चुका है, जिसके तथ्यो की पूर्ण जानकारी शुरू से ही वादी को रही व है जब प्रतिवादी सं. 01 के नाम जो सम्पति दर्ज है, उससे वादी का कभी कोई किसी प्रकार का सम्बंध सरोकार हित या अधिकार ही नही रहा और न है तो वादी के विधिक हको पर

कुठाराघात होने या वादी के हक संशय में पड़ने इत्यादि के तथ्य रचे, गढ़े बनावटी व झूँठे सिद्ध है ।

14. यह है कि पद संख्या 06 वाद पत्र गलत है, अतः अस्वीकार है । कोई वाद हेतुक वादी के पक्ष में उत्पन्न नहीं हुआ । वादी को प्रतिवादी संख्या 01 का नाम पाबुदानसिंह की गोद वल्दीयत के आधार पर दर्ज होने के तथ्यों की जानकारी दिनांक 31.12.1976 से निरंतर एवं सतत् रुप से रही । यदि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की प्रविष्टियां राजस्व रेकर्ड जमाबंदी जो लोक दस्तावेज रहे हैं, में गलत या अवैध दर्ज होती तो ऐसी प्रविष्टियों के संबंध में सन् 1976 के तुरन्त बाद ही कानूनी साराजोही की जा सकती थी किन्तु इस संबंध में वादी ने लैस मात्र भी कथन नहीं किया है । अतिरिक्त इसके वादी के पिता हेमसिंह का देहांत हुआ । हेमसिंह के देहांत के वक्त हेमसिंह का वारिश पुत्र होने के नाते खसरा संख्या 148, 162, 205, 241 व 259 मौजा सरवडी में म्युटेशन संख्या 1203 तारीख 21.07.2014 में पारित हुआ, में भी वादी वल्दियत हेमसिंह दर्ज करवाई गई । वादी का वाद स्पष्ट रुप से म्याद बाहर है क्योंकि पंजीकृत दस्तावेज अपने आप में शून्य दस्तावेज नहीं है उसकी वैधता को चुनौती देने वाले पक्षकार को ऐसी सत्यता की धारणा को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करना होता है । चूंकि प्रतिवादी संख्या 01 के हक में गोदनामा दिनांक 19.07.1976 को निष्पादित हुए 43 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है उक्त समयावधि में ऐसे दस्तावेजों की वैधता के संबंध में लैसमात्र भी कथन नहीं करने से उक्त दस्तावेज पूर्ण होकर पुख्ता हो चुका है । वादी का वाद परिसीमा कालावधि से वर्जित होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

15. पद संख्या 08 में वर्णित अनुतोष या अन्य कोई प्रतिवादी के विरुद्ध पाने का अधिकारी नहीं है ।

16. विशेष कथनों में यह अभिवाक् किया है कि वादी ने वर्तमान वाद में पाबुदानसिंह के या तखतकंवर के मालिकाना स्वामित्व कब्जा की कोई सम्पत्ति रही हो ऐसा कोई सम्पति सम्बधित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

17. यह कि वादी अपने पिता हेमसिंह के द्वारा दी गई लिखत संस्वीकृति के विपरीत अन्य कोई कथन करने से साक्ष्य विधि में प्रावधित विबंधन के सिद्धान्त से बाधित है । हेमसिह ने राजस्व वाद सं. 39/1976 में प्रतिवादी सं. 01 को पाबुदानसिंह का गोद पुत्र होने की संस्वीकृति दी ऐसी संस्वीकृति का खण्ड़न हेमसिंह ने अपने जीवन काल में कभी नहीं

किया। हेमसिंह की फौतगी पर वादी के नाम दर्ज हुई कृषि भूमियों के सम्बध में लैस मात्र कथन नही किया है।

18. यह कि वादी ने गोदनामा तारीख 29.06.1972 की क्रियान्विती के सम्बंध में तखतकंवर व हेमसिंह के जीवनकाल में किसी प्रकार की कार्यवाही क्यो नही की, यदि उक्त गोदनामा तारीख 29.06.1972 सत्य होकर अस्तित्व में होता तो अवश्य ही इस बाबत् कानुनी साराजोही करता। तखतकवंर की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके है तथा हेमसिंह की मृत्यु को भी 06 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। वादी ने सही तथ्यो को छिपाया है। मामला न्यायालय में स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया है।

19. यह कि वाद पत्र वादी परिसीमा कालावधि से बाधित है। पंजीकृत दस्तावेज की वैधता को प्रश्नगत करने की समयावधि 03 वर्ष ही है जो वर्ष 1979 में ही समाप्त हो चुकी है। परिसीमा एक बार प्रारम्भ हो जाने से पश्चातवर्ति किसी भी घटना से नही रूकती है। प्रतिवादी सं. 01 के नाम निष्पादित गोदनामा के तथ्यों का उल्लेख प्रकरण सं. 36/1976 में हो चुका था जिसकी पालना में रेकर्ड जमाबन्दी में प्रविष्टियां अंकित रही है ऐसी प्रविष्टियों की जानकारी वादी को रही है फिर भी इस बाबत् क्यो नही कानूनी चाराजोही की, के बाबत् लैस मात्र कथन नहीं किया है। वादी ने गोदनामा तारीख 29.06.1972 के दस्तावेज को तखतकंवर के जीवनकाल में प्रकट क्यो नही किया इस बाबत लैस मात्र कथन नही किया है जिससे तथाकथित गोदनामा तारीख 29.06.1972 संदिग्ध दस्तावेज है जो प्रारंभ से ही शून्य एवं अवैध दस्तावेज है। अतः निवेदन है कि वाद पत्र वादी निरर्थक तथ्यों का होने से व्यय सहित खारिज फरमाया जाए।

20. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकियात विरचित की गई :–

1. आया मुस्समात् तखत कंवर ने वादी को संवत् 2025 के फाल्गुनशुद 11 को गोद लेकर इसका गोदनामा दिनांक 29.06.1972 को पंजीबद्ध करवा दिया था, जिससे लक्ष्मणसिंह का गोदनामा नाजायज है व अवैध होने से शून्य है ?

–––जिम्मे वादी

2. आया मुस्समात् तखत कंवर द्वारा वादी को विधिवत् गोद ले लेने के पश्चात्, दूसरी बार किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्रतिवादी संख्या 1 को गोद नहीं लिया जा सकता है ?

---जिम्मे वादी

3. आया राजपुरोहित समाज में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के लड़के को गोद लेने का रिवाज नहीं है और उक्त गोद लक्ष्मणसिंह की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा अर्थात् 26 वर्ष 8 माह थी ?

---जिम्मे वादी

4. आया वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह के हक में प्रतिवादी संख्या 2 उप-पंजीयक कार्यालय पचपदरा में निष्पादित व पंजीबद्ध गोदनामा का दस्तावेज पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 4 क्रम संख्या 15/1976 पृष्ठ संख्या 47 से 50 पर दिनांक 04.08.1976 को पंजीबद्ध किया गया, को अपने विरुद्ध निष्प्रभावी, बेअसर घोषित करवाकर उक्त गोदनामा दस्तावेज को रद्द व मन्सुख करवाने का अधिकारी है ?

---जिम्मे वादी

5. आया वादी अपने पिता हेमसिंह के द्वारा दी गई लिखित संस्वीकृति के विपरीत अन्य कोई कथन करने से साक्ष्य विधि में प्रावधित विबंधन के सिद्धांत से बाधित है ?

---जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

6. आया वाद पत्र वादी परिसीमा कालावधि से बाधित है ?

---जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

7. अनुतोष ?

21. साक्ष्य वादी में वादी महेन्द्रसिंह पीडब्ल्यू 01 के शपथ पत्र पर बयान करवाये गये । वादी की ओर से दस्तावेज गोदनामा प्रदर्श 01 व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श 01ए, लक्ष्मणसिंह को गोद लेने बाबत् निष्पादित गोदनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 02, महेन्द्रसिंह का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का सैकण्डरी बोर्ड का असल प्रमाण पत्र प्रदर्श 03 व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श 03ए, महेन्द्रसिंह का अधार कार्ड प्रदर्श 04 व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श 04ए, महेन्द्र का मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 05 व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श 05ए, पेन कार्ड प्रदर्श 06 व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श 06ए प्रदर्शित करवाये गये ।

22. साक्ष्य प्रतिवादीगण में रणवीरसिंह डीडब्ल्यू 01 व सुरेन्द्रसिंह डीडब्ल्यू 02 व डूंगरसिंह डीडब्ल्यू 03 के शपथ पत्र पर बयान करवाये गये । प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज प्रदर्श ए1 ता ए19 प्रदर्शित करवाये गये ।

23. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई ।

24. वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से दिये गये परस्पर विरोधाभासी तर्कों को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन व अवलोकन कर मनन किया जिस पर तनकीवार मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 01 :– आया मुस्समात् तखत कंवर ने वादी को संवत् 2025 के फाल्गुनशुद 11 को गोद लेकर इसका गोदनामा दिनांक 29.06.1972 को पंजीबद्ध करवा दिया था, जिससे लक्ष्मणसिंह का गोदनामा नाजायज है व अवैध होने से शून्य है ?

25. इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी के जिम्मे था तथा वादी को यह साबित करना था कि मुस्समात् तखंत कंवर ने संवत् 2025 के फाल्गुनशुद 11 को वादी को गोद लिया एवं उसका गोदनामा दिनांक 29.06.1972 को पंजीबद्ध करवाया । वादी के अधिवक्ता का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि मुस्समात् तखत कंवर ने पाबुदानसिंह की ईच्छा अनुसार उनके मरणोपरांत वादी महेन्द्रसिंह को संवत् 2025 में फाल्गुनशुद 11 को गोद लिया एवं उसका रजिस्टर्ड गोद विलेख दिनांक 28.06.1972 को प्रदर्श् 01ए पंजीबद्ध करवाया । प्रतिवादी का यह तर्क है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में स्वर्गीय पाबूदानसिंह की आज्ञानुसार महेन्द्रसिंह को गोद लेना बताया है । गोद विलेख प्रदर्श 01ए में पाबुदानसिंह का स्वर्गवास लगभग 33 वर्ष पूर्व होना अंकित किया है उस समय तक वादी का जन्म ही नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में पाबुदानसिंह को यह पूर्वाभास होना की हेमसिंह के लड़का होगा जिसका नाम महेन्द्रसिंह होगा एवं उसे तखत कंवर द्वारा गोद लिया जाएगा, यह दर्शाता कि प्रदर्श 01ए कूटरचित दस्तावेज है ऐसा कोई दस्तावेज तखत कंवर द्वारा निष्पादित नहीं किया था । इसके अलावा यह भी तर्क रहा है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से लक्ष्मणसिंह को तखत कंवर द्वारा गोद लेना एवं लक्ष्मणसिंह पाबुदानसिंह का गोद पुत्र होना साबित है ।

26. वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से दिए गए इन विरोधाभासी तर्कों को सुना । वादी ने इस विवाद्यक को साबित करवाये जाने हेतु स्वयं को पीडब्ल्यू 01 के रुप में परीक्षित करवाया है जिसने उसके मुख्य परीक्षण में वाद पत्र में किए गए कथनों को ही दोहराया

है। पीडब्ल्यू 01 महेन्द्रसिंह से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड के संबंध में मुख्य रुप से जिरह की है जिन दस्तावेजों में लक्ष्मणसिंह का पाबुदानसिंह का गोद पुत्र होना दर्ज है। वादी ने वाद पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य में गोदनामा प्रदर्श 01 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 01ए, लक्ष्मणसिंह के पक्ष में निष्पादित तथाकथित गोदनामा प्रदर्श 02, वादी का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का सैकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र प्रदर्श 03 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 03ए, आधार कार्ड प्रदर्श 04 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 04ए, मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श पी 05 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 05ए तथा पेन कार्ड प्रदर्श 06 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 06ए प्रदर्शित करवाये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से राजस्व रेकर्ड के अलावा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिनमें लक्ष्मणसिंह का नाम बतौर पाबुदानसिंह के गोद पुत्र के रुप में दर्ज हो। डीडब्ल्यू 01 रणवीरसिंह की जिरह के अवलोकन से यह पाते है कि उसने जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसके पिताजी के नाम के राशन कार्ड, पेन कार्ड एवं आधार कार्ड व बैंक खाते में महेन्दसिंह पुत्र खींवराजसिंह का नाम दर्ज है। उसके पिताजी जहॉ नौकरी करते थे वहॉ भी लक्ष्मणसिंह पुत्र खीवराजसिंह दर्ज था। इस कथन को स्वीकार किया कि जवाबदावे के साथ राजस्व अभिलेख, न्यायालय के निर्णय की प्रतियॉ पेश की है उनके अलावा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें लक्ष्मणसिंह गोद पुत्र पाबुदानसिंह लिखा हो। इस कथन को सही बताया कि उसके पिताजी रिटायर्ड हुए उनकी पेंशन डायरी में लक्ष्मणसिंह पुत्र खीवराजसिंह दर्ज किया गया था। उसके पिताजी के गोद जाने के बाद से अंतिम समय तक उपरोक्त दस्तावेज में गोदपुत्र दर्ज करवाने का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं करवाया था। प्रतिवादी की ओर से राजस्व अभिलेख के अलावा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें लक्ष्मणसिंह नाम बतौर गोदपुत्र पाबुदानसिंह दर्ज हो। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 01ए गोद विलेख दिनांक 29.06.1972 को पंजीबद्ध करवाया गया था जो दस्तावेज 30 वर्ष से अधिक पुराना दस्तावेज है तथा 30 वर्ष से पुराने दस्तावेज के बारे में धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत् निम्न उपधारणा भी है जिसे मैं यहॉ उद्धरत करना उचित समझाता हूँ। **धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस प्रकार है –**
"जहां कि कोई दस्तावेज, जिसका तीस वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से, जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश की गई है, वहां न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना

तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक् रुप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी जिनके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है ।" वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड गोद विलेख प्रदर्श 01ए 30 वर्ष पुराना दस्तावेज है जिसे वादी ने न्यायालय में पेश किया है जो मामले के परिस्थितियों अनुसार उचित अभिरक्षा से पेश किया जाना पाया जाता है ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज के खण्डन स्वरुप कोई साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में इस दस्तावेजी की सत्यता के बारे में उपधारणा की जाती है । वादी के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह रहा है कि प्रदर्श 01ए गोदनामे में पाबुदानसिंह का स्वर्गवास 33 वर्ष पूर्व होने का उल्लेख है जिस समय तक महेन्द्रसिंह का जन्म ही नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में पाबुदानसिंह द्वारा श्रीमती तखत कंवर को यह कहना कि महेन्द्रसिंह को गोद ले लेना एवं इस आधार पर गोदनामे को कूटरचित होना बताया है परन्तु प्रदर्श 01ए गोद विलेख के अवलोकन से यह पाते है कि उसमें यह उल्लेख किया है कि "उसके पति के कोई संतान नहीं होने से अंतिम समय पर मुझे मेरे पति ने मौखिक आज्ञा दी थी कि मेरा नाम कायम रखने व मेरे घर काम संभालने के लिए मेरे भतीजे खीमराजसिंह का पुत्र हेमसिंह के लड़के को तुम्हारी ईच्छा हो तब गोद ले लेना ।" उक्त ईबारत के अवलोकन से व गोद विलेख के सम्पूर्ण अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं होता है कि पाबुदानसिंह ने तत्समय गोद लेने वाले पुत्र का नाम महेन्द्रसिंह बताया हो अपितु खीमसिंह के पुत्र हेमसिंह के लड़के को गोद लेने की ईच्छा जाहिर की थी और उस अनुसरण मे श्रीमती तखत कंवर द्वारा हेमसिंह के पुत्र को गोद लिया जिसका नाम महेन्द्रसिंह होने से गोद लेने की तारीख को गोद लिए गए व्यक्ति का नाम महेन्द्रसिंह प्रदर्श 01ए में लिखा गया है जिससे प्रतिवादी के अधिवक्ता का उक्त सारहीन है । वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से तखत कंवर द्वारा वादी महेन्द्रसिंह को संवत् 2025 के फाल्गुनशुद 11 को गोद लेना एवं उसका पंजीकृत गोदनामा दिनांक 29.06.1972 को पंजीकृत करवाया जाना साबित है । तद्नुसार विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या 02 :– आया मुस्समात् तखतकंवर द्वारा वादी को विधिवत् गोद ले लेने के पश्चात्, दूसरी बार किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्रतिवादी संख्या 1 को गोद नहीं लिया जा सकता है ?

27. इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था जिसके द्वारा वादी को यह साबित करना था कि तखत कंवर द्वारा वादी को विधिवत् गोद लेने के पश्चात् दूसरी बार किसी अन्य व्यक्ति को गोद नहीं लिया जा सकता है । वस्तुतः उक्त विवाद्यक विशुद्ध रुप से विधि विवाद्यक है । हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा विधिमान्य दत्तक की शर्तें बताती हैं जिसकी उपधारा 11 यह प्रावधान करती है कि " यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता, जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र (चाहे धर्मज-रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न हो ।" धारा 11 हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 यह स्पष्ट प्रावधान करती है कि किसी गोद लेने वाले पिता या माता के गोद लेने के समय कोई हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र चाहे वो धर्मज हो या दत्तक से हो जीवित नहीं होना चाहिए । हस्तगत मामले में विवाद्यक संख्या 01 के जरिए यह साबित हुआ है कि तखत कंवर द्वारा वादी महेन्द्रसिंह को गोद लेकर गोदनामा दिनांक 29.06.1972 को पंजीकृत करवाया था एवं द्वितीय गोदनामा प्रदर्श 02 निष्पादित किए जाने के समय महेन्द्रसिंह जीवित था ऐसी स्थिति में तखत कंवर प्रतिवादी लक्ष्मणसिंह को गोद लेने हेतु समर्थ नहीं थी जिससे यह विवाद्यक वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या 03 :- आया राजपुरोहित समाज में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के लड़के को गोद लेने का रिवाज नहीं है और उक्त गोद लक्ष्मणसिंह की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा अर्थात् 26 वर्ष 8 माह थी?

28. इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था जिसे यह साबित करना था कि राजपुरोहित समाज में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के लड़के को गोद लेने का रिवाज नहीं है । इस संबंध में वादी ने वाद पत्र में यह कथन किया है कि राजपुरोहित समाज में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के लड़के को गोद लेने का रिवाज नहीं है तथा यहीं तथ्य मुख्य परीक्षण में किए गए हैं । यह भी कथन किया है कि लक्ष्मणसिंह को गोद लेना बताया है उस समय उसकी उम्र 26 वर्ष 08 माह थी । वादी द्वारा उसके मुख्य परीक्षण में किए गए इन कथनों के संबंध में कि राजपुरोहित समाज में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के को गोद लेने का रिवाज नहीं है, को विवादित करते हुए वादी से लैसमात्र भी जिरह करते हुए इस कथन को प्रश्नगत नहीं किया है । प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में डीडब्ल्यू 01 रणवीरसिंह ने उसके मुख्य परीक्षण में इस कथन को गलत होना बताया है कि राजपुरोहित समाज की रुढि प्रथा अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु व्यक्ति को गोद लेने व देने में कोई बाधा हो । जिरह में इस कथन को

स्वीकार किया कि उसके पिताजी के नाम गोदनामा रजिस्टर्ड करवाया उस समय उनकी उम्र 26 वर्ष 08 माह थी परन्तु गवाह ने यह कथन किया कि जब गोद गए उनकी उम्र 5 वर्ष थी । जिरह में इस कथन को सही बताया कि उसके पिताजी 5 वर्ष की उम्र में गोद गए ऐसा कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है । डीडब्ल्यू 02 सुरेन्द्रसिंह ने उसकी जिरह में 15 वर्ष से अधिक व शादीशुदा व्यक्ति को गोद लेने की प्रथा राजपुरोहित समाज में नहीं हो, इस कथन को गलत बताया है । वादी द्वारा भी वाद पत्र में एवं उसके साक्ष्य शपथ पत्र में केवल 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के लड़के को गोद लेने व देने का रिवाज नहीं होना साधारणतया कथन किया है परन्तु ऐसी रुढि या प्रथा अनादिकाल व अस्मरणीय काल से चली आ रही हो ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं किया है । रुढि एवं प्रथा को साबित करवाये जाने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसी रुढि या प्रथा अनादिकाल से निरन्तर चली आ रही हो जिसे वादी द्वारा साबित नहीं किया गया है जिससे विवाद्यक संख्या 03 वादी के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या 04 :– आया वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह के हक में प्रतिवादी संख्या 2 उप–पंजीयक कार्यालय पचपदरा में निष्पादित व पंजीबद्ध गोदनामा का दस्तावेज पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 4 क्रम संख्या 15/1976 पृष्ठ संख्या 47 से 50 पर दिनांक 04.08.1976 को पंजीबद्ध किया गया, को अपने विरुद्ध निष्प्रभावी, बेअसर घोषित करवाकर उक्त गोदनामा दस्तावेज को रद्द व मन्सुख करवाने का अधिकारी है ?

29. इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी के जिम्मे था जिसके द्वारा वादी को यह साबित करना था कि दिनांक 04.08.1976 को प्रतिवादी लक्ष्मणसिंह के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामा निष्प्रभावी व बेअसर घोषित करवाकर उस दस्तावेज को रद्द करवाने का अधिकारी है । वस्तुतः यह विवाद्यक अनुतोष से संबंधित है । वादी ने विवाद्यक संख्या 01 के जरिए इस तथ्य को साबित किया है कि मुस्समात् तखत कंवर ने वादी को संवत् 2025 के फाल्गुनशुद 11 को गोद लेकर उसका गोदनामा दिनांक 29.06.1972 को पंजीबद्ध करवाया एवं वादी महेन्द्रसिंह द्वितीय गोदनामा प्रदर्श 02 दिनांक 04.08.1976 पंजीयन करवाये जाने के समय तखतकंवर पत्नि पाबुदानसिंह का गोदीपुत्र था ऐसी स्थिति में तखत कंवर को प्रतिवादी संख्या 01 लक्ष्मणसिंह को गोद लेने की कोई अधिकारिता व सक्षमता नहीं थी । इसके अलावा प्रतिवादी स्वयं के द्वारा प्रदर्श 02 गोदनामा दिनांक 04.08.1976 को (Not Admitted) अस्वीकार किया है । किसी भी व्यक्ति के गोद पुत्र, पुत्र

का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र जीवित होने की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को गोद नहीं लिया जा सकता है ऐसी स्थिति में तखत कंवर द्वारा दिनांक 04.08.1976 को पंजीबद्ध करवाया गया गोदनामा विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है जिससे यह विवाद्यक वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या 05 :– आया वादी अपने पिता हेमसिंह के द्वारा दी गई लिखित संस्वीकृति के विपरीत अन्य कोई कथन करने से साक्ष्य विधि में प्रावधित विबंधन के सिद्धांत से बाधित है ?

30. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर था जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को यह साबित करना था कि हेमसिंह द्वारा की गई लिखित संस्वीकृति के विपरीत वादी अन्य कोई कथन करने से विबंधित है । प्रतिवादी ने दौराने बहस यह तर्क दिया है कि वादी महेन्द्रसिंह के पिता द्वारा एक राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी की अराजी के विभाजन हेतु एसडीओ कोर्ट बालोतरा में प्रस्तुत किया था जिसमें वादी के नैसर्गिक पिता हेमसिंह ने लक्ष्मणसिंह को पाबुदानसिंह का गोद पुत्र होना बताया था एवं वादी स्वयं ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसके पिता हेमसिंह से कोई दुश्मनी नहीं थी । हेमसिंह जो स्वयं वादी के नैसर्गिक पिता है, के द्वारा संस्थित राजस्व वाद में लक्ष्मणसिंह को पाबुदानसिंह का गोदी पुत्र बताना यहीं साबित करता है कि लक्ष्मणसिंह ही पाबुदानसिंह का गोद पुत्र था तथा उस वाद में राजीनामा हुआ था जिस अनुसार विभाजन की डिक्री भी पारित की गई थी और उस डिक्री के अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में नामांतरणकरण भी बतौर गोदी पुत्र लक्ष्मणसिंह के हक में दायर किया गया था । प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जिनमें हेमसिंह द्वारा एसडीओ कोर्ट बालोतरा में संयुक्त खातेदारी की आराजी विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद में हुए राजीनामे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें लक्ष्मणसिंह को पाबुदानसिंह का गोद पुत्र होने का उल्लेख है तथा उस वाद में राजीनामा होने पर राजीनामा अनुसार पारित डिक्री की प्रमाणित प्रदर्श ए15 एवं लक्ष्मणसिंह के हक में पाबुदानसिंह का गोद पुत्र होना अंकित करते हुए दर्ज नामांतरणकरण एवं राजस्व जमाबंदी रेकर्ड की नकलें प्रस्तुत की है जिनके अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि इन दस्तावेजों में लक्ष्मणसिंह को पाबुदानसिंह का गोद पुत्र होने का उल्लेख है परन्तु वादी के नैसर्गिक पिता हेमसिंह द्वारा प्रस्तुत राजस्व आराजी के विभाजन के वाद में वादी पक्षकार नहीं था जिससे वादी के पिता द्वारा किए गए किसी अभिवचनों से वादी विबंधित नहीं है एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में पाबुदानसिंह के गोद पुत्र

के रुप में लक्ष्मणसिंह का नाम दर्ज किए जाने को गोदनामा प्रदर्श 01ए जो कि दिनांक 29.06.1972 को पंजीयन करवाया गया था, के विरुद्ध प्रधानता नहीं दी जा सकती है । इसके अलावा प्रतिवादी की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं इन दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि वादी की पूर्व में कोई संस्वीकृति हो जिसके विरुद्ध अन्य कथन करने से वादी विबंधित हो जिससे उक्त विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध एवं वादी के पक्ष में तय किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या 06 :– आया वाद पत्र वादी परिसीमा कालावधि से बाधित है ?

31. यह विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 01 के जिम्मे था जिसके द्वारा प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद परिसीमा काल से बाधित है । प्रतिवादी डीडब्ल्यू 01 रणवीरसिंह ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में वादी को वाद संख्या 39/1976 में पारित निर्णय दिनांक 31.12.1976 की 44 वर्षों से जानकारी होना लेकिन वाद 2019 में प्रस्तुत किए जाने से वाद अवधि बाधित होना बताया है । इसी प्रकार डीडब्ल्यू 02 सुरेन्द्रसिंह ने भी वादी द्वारा 40 वर्षों तक गोदनामे को चुनौती नहीं देने से वाद अवधि बाधित होना बताया है । इसके विपरीत वादी ने वाद पत्र में यह उल्लेख किया कि प्रतिवादी लक्ष्मणसिंह द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2019 में जवाबदावा दिनांक 27.03.2019 को पेश कर पाबुदानसिंह के गोद जाना तथा तखत कंवर द्वारा गोदनामा निष्पादित कर पंजीयन करवाने के तथ्य का उल्लेख किए जाने पर वादी को दिनांक 11.04.2019 को गोदनामे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर तथाकथित गोदनामे की प्रथम बार जानकारी होने पर जानकारी के तीन वर्ष के भीतर वाद संस्थित करना बताया है । प्रतिवादी का यह कथन रहा है कि राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी व एसडीओ कोर्ट बालोतरा में प्रस्तुत वाद एवं पारित निर्णय से वादी को भलिभांति ज्ञान था लेकिन वादी ने वाद संस्थित नहीं किया जिससे वाद म्याद बाहर है परन्तु वादी ने वाद पत्र में गोदनामा प्रदर्श 02 की जानकारी प्रथम बार वर्ष 2019 में राजस्व वाद संख्या 25/2019 में प्रतिवादी लक्ष्मणसिंह द्वारा दिनांक 27.03.2019 को वादोत्तर पेश करने एवं उसमें तखत कंवर द्वारा गोदनामा पंजीकृत करवाये जाने का अभिवचन करने पर गोदनामें की जानकारी होना एवं जानकारी होने पर गोदनामे की प्रमाणित प्रति दिनांक 11.04.2019 को प्राप्त होने पर जानकारी होना बताया है । वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि वादी को तखत कंवर द्वारा प्रदर्श 02 गोदनामा निष्पादित करवाये जाने की जानकारी ही प्रथम बार दिनांक 27.03.2019 को हुई एवं उससे पूर्व गोदनामे की जानकारी ही नहीं थी । जब दस्तावेज के अस्तित्व में होने एवं पंजीयन करवाये जाने की जानकारी ही नहीं हो ऐसी स्थिति में पूर्व में वाद संस्थित नहीं किया जा सकता था एवं जब वादी को प्रथम बार वर्ष 2019 में गोदनामा पंजीयन करवाये जाने की

जानकारी हुई उसके बाद यह वाद दिनांक 08.05.2019 को प्रस्तुत किया है जो अन्दर म्याद होना पाया जाता है जिससे यह विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध एवं वादी के पक्ष में तय किया जाता है ।

"अनुतोष "

32. साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन अनुसार विवाद्यक संख्या 01, 02 व 04 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध, विवाद्यक संख्या 03 वादी के विरुद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या 05 व 06 प्रतिवादीगण के विरुद्ध एवं वादी के पक्ष मे तय होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किए जाने योग्य है ।

:: आदेश ::

33. अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

(i) प्रतिवादी संख्या 01 लक्ष्मणसिंह के पक्ष में निष्पादित गोदनामा दिनांक 19.07.1976 को वादी के हक, अधिकारों के विरुद्ध, अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कर उक्त गोदनामे को निरस्त घोषित किया जाता है ।

(ii) निर्णय की एक प्रति उप पंजीयक पचपदरा को भेजकर यह निर्देश दिया जाता है कि पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 4 क्रम संख्या 15/1976 पृष्ठ संख्या 47 से 50 पर दिनांक 04.08.1976 को पंजीकृत गोदनामें को निरस्त किए जाने बाबत् रजिस्टर में प्रविष्टि करे ।

(iii) वाद की प्रकृति एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए पक्षकारान वाद खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो ।

(एम.आर.सुथार)
जिला न्यायाधीश,
बालोतरा

34. आदेश आज दिनांक 09.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर.सुथार)
जिला न्यायाधीश,
बालोतरा

GOVIND SHANKER KIRADOO
Steno Gr. III "Authenticate document" Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Date: 2026.04.15 07:48:02 +0530